कार्यालय वित्त नियंत्रक
गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर
जिला– उधमसिंह नगर

पत्रांकः वि0नि0/बजट–उप0अधिप्राप्ति/292/1572 दिनांक : 15 सितम्बर, 2015

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी द्वारा केन्द्रीय क्रय समिति (सी0पी0सी0) की संस्तुतियों के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :–

विश्वविद्यालय में जिन उपकरणों/सामग्री का क्रय, केन्द्रीय क्रय समिति (सी0पी0सी0) की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है, उक्त संस्तुतियों का अन्तिम अनुमोदन कुलपति स्तर से ही प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा। भविष्य में उपरोक्तानुसार अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित देयकों के भुगतान की कार्यवाही की जाये।

नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अधिष्ठाता/ निदेशक/ विभागाध्यक्ष।
2. समस्त उप नियंत्रक/ लेखाधिकारी (भुगतान)।
3. प्रभारी अधिकारी, भण्डार कय।
4. प्रभारी अधिकारी, वि0वि0 वैब साइट (उक्त आदेश वैब साइट पर अपलोड हेतु)।
5. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

नियंत्रक

कार्यालय नियंत्रक
गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला–ऊधमसिंहनगर

पत्रांक :वि.नि. / बजट / 292 / 1552   दिनांक : 14/7/2015

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग की अधिसूचना 177 / XXXVII(7)2008 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 को विश्वविद्यालय में भण्डार क्रय अधिकारी के पत्रांक भ0क्र0अ0 / 2008 / क्रय नियमावली 1525 दिनांक 31.12.2008 के माध्यम से विश्वविद्यालय में लागू की गयी थी।

उत्तराखण्ड शासन की वित्त विभाग द्वारा अपनी अधिसूचना 80(1) / XXVII(7) / 2008 दिनांक 15 जून, 2015 के द्वारा उपर्युक्त नियमावली दिनांक 31.12.2008 के कतिपय प्राविधनों में संशोधन किये गये हैं। उक्त संशोधनों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधान इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा अधिप्राप्ति के संबंध में जो दिशा–निर्देश पूर्व में निर्गत किये गये हैं वह यथावत् प्रभावी रहेंगे।

उपर्युक्त अधिसूचना 80(1) / XXVII(7) / 2008 दिनांक 15 जून, 2015 उत्तराखण्ड शासन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट में उपलब्ध है। अतः विश्वविद्यालय स्तर पर अधिप्राप्ति संबंधी कार्यवाही तद्नुसार सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / विभागाध्यक्ष / मुख्य महाप्रबन्ध, फार्म।
2. प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय।
3. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

नियंत्रक
14/7